आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची

23/05/2022

एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 69/2016

शिव कुमार सिंह बनाम् राज्य एवं विजेन्द्र मुण्डा

प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील–242–R15/2014-15 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। मूलतः भूमि वापसी वाद संख्या–554/2012–13 में विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा ग्राम–डुमरदगा, खाता नम्बर–165, प्लॉट–422 के 05 कट्ठा भूमि को मुआवजा के आधार पर विनियमित किया गया था। उपायुक्त द्वारा प्रश्नगत् आदेश को मिलीभगत की कार्रवाई तथा गलत तथ्यों पर पारित आदेश का निष्कर्ष अंकित करते हुये इस आदेश को रद्द किया गया, जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण दायर किया गया है। प्रश्नगत् वाद में आवेदक के तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक–14.01.2020 को दी गयी है। उन्हें सुनवाई हेतु लगातार तिथियों पर मौका दिया जाता रहा, किन्तु आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। इस प्रकार विगत् 06 वर्ष से यह वाद सुनवाई हेतु अंगीकृत भी नहीं किया जा सका है। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार पर वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया।

आवेदकों का दावा है कि वर्ष–1946 में प्रश्नगत् भूमि उनके द्वारा मौखिक बिक्री से प्राप्त की गयी तथा उक्त समय से ही वे इस भूमि पर निर्माण किये हुये है। इस संबंध में उनके द्वारा कोई भी साक्ष्य अथवा तथ्य किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा तथ्यों की उचित जाँच/समीक्षा किये बगैर ही आवेदकों को मुआवजा भुगतान के आधार पर भूमि विनियमित करने का आदेश पारित कर दिया गया। आवेदकों के पास प्रश्नगत् भूमि पर Schedule Area Regulation-1969 के लागू होने के पूर्व किसी प्रकार के निर्माण किये जाने के संबंध में कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। सादा बिक्री पत्र के आधार पर भूमि का हस्तांतरण निबंधन अधिनियम के प्रावधानों के भी विपरीत है। स्पष्टतः विशेष विनियमन पदाधिकारी के न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत कर बिना

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	किसी ठोस आधार के मुआवजा भुगतान का आदेश प्राप्त कर लिया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा तकनीकी पदाधिकारियों के दल से प्रश्नगत् स्थल की जाँच करायी गयी, जिसमें यह स्पष्ट किया कि उक्त भूमि पर किये गये निर्माण वर्ष–2014 के पूर्व ही किये गये थे। स्पष्टतः आदिवासी रैयती भूमि को अवैध तरीके से गलत तथ्यों के आधार पर विनियमित किया गया था, जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा रद्द किया जा चुका है। आवेदकों के आवेदन में कोई भी नया तथ्य उल्लेखित नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.18 15:32:17 +05:30
Location: 10.93.72.187